वार्षिक रिपोर्ट
2016–17

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी 11, सैक्टर 6, पंचकुला – 134109

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एक सुरक्षित, स्वच्छ तथा हरित कल के लिए पर्यावरण के बचाव, संरक्षण तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने कर्मचारियों की वचनबद्धताओं, समन्वयों तथा योगदानों तथा सभी सहृदयतापूर्ण प्रयासों की प्रशंसा करता है।

विषय–वस्तु

अध्याय 1 : प्रस्तावना

1.1 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एच एस पी सी बी)

1.2 एच एस पी सी बी का दृशय तथा उद्देशय

अध्याय 2 : एच एस पी सी बी बारे

2.1 बोर्ड की रचना

2.2 एच एस पी सी बी की अमला संख्या

अध्याय 3 : कार्यकलाप तथा अवसंरचना

3.1 बोर्ड के अनिवार्य कार्यकलाप

3.2 बार्ड की अवसंरचना

3.3 बोर्ड का कार्यात्मक ढ़ांचा

अध्याय 4 : प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय

4.1 चूक करने वाली इकाईयों के विरुद्ध कार्यवाही

अध्याय 5 : घोर रुप से तथा उच्च रुप से प्रदूशित उद्योग

5.1 घोर रुप से प्रदूषित उद्योग (जी पी आई एस)

5.2 उच्च रुप से प्रदूषित 17 प्रवर्ग उद्योग

अध्याय 6 : जागरुकता कार्यकम

6.1 जागरुकता कार्यकम

अध्याय 7 : बहिःस्राव उपचार संयन्त्र तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण

7.1 ई टी पी, एस टी पी तथा सी ई टी पी

7.2 वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र (ए पी सी डी)

अध्याय 8 : जल अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

8.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

अध्याय 9 : सतत् परिवेशी वायु गुण मोनिटरिंग

9.1 सामान्य

9.2 वर्ष 2016–17 के लिए सतत् परिवशी वायु गुण मोनिटरिंग रिपोर्ट

अध्याय 10 : जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति

10.1 औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का प्रवर्गीकरण :

लाल, नारंगी, हरा तथा सफेद प्रवर्ग

10.2 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना की सहमति

10.3 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति

अध्याय 11 : खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016

11.1 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार

11.2 खतरनाक अपशिष्ट की रिसाईकलिंग/ पुनः प्रसंस्करण के लिए प्राधिकृत इकाईयों की स्थिति

11.3 खतरनाक अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रुप में रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति

11.4 टी एस डी एफ में खतरनाक अपशिष्ट की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में स्थिति

11.5 खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अधीन वार्शिक रिपोर्ट

अध्याय 12 : ई– अपशिष्ट नियम, 2016

12.1 सामान्य

12.2 ई– अपशिष्ट को विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों के ब्यौरे

अध्याय 13 : बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016

13.1 सामान्य

13.2 बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति

13.3 बायो मेडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रबन्धकों के ब्यौरे

13.4 बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति

अध्याय 14 : बैटरी नियम, 2001

14.1 सामान्य

14.2 बैटरी (एम तथा एच) नियम, 2001 के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारियों की स्थिति

अध्याय 15 : प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016

15.1 सामान्य

15.2 प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 के लागूकरण की स्थिति

अध्याय 16 : प्रशिक्षण प्रोग्राम

16.1 अटेन्ड किए गए प्रशिक्षण कार्यकम/कर्मशाला के ब्यौरे

अध्याय 17 : लोक शिकायतों का निवारण

17.1 प्राप्त तथा निपटान लोक शिकायतों की स्थिति

अध्याय 18 : ई आई ए अधिसूचना के अधीन लोक सुनवाई

18.1 सामान्य

18.2 बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के ब्यौरे

अध्याय 19 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

19.1 सामान्य

19.2 प्राप्त तथा निपटान आवेदनों के ब्यौरे

अध्याय 20 : आय तथा व्यय विवरणी

20.1 वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक प्राप्तियों के ब्यौरे

20.2 वित्त वर्ष2016–17 के लिए वास्तविक व्यय के ब्यौरे

अध्याय 1 प्रस्तावना

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसे हरियाणा राज्य की अधिकारिता के भीतर पर्यावरणीय कानूना तथा नियमों को लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है। बोर्ड राज्य के भीतर पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित विधानों, न्यायिक तथा वैधानिक घोषणाओं का उचित लागूकरण सुनिश्चित करता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रारम्भिक रुप से जल प्रदूषण को रोकने तथा नियन्त्रण करने तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने या पुनरुद्धार करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन अधिसूचना संख्या 86/(4)(iv)/74/33298, दिनांक सितम्बर 19, 1974 द्वारा गठित किया गया था।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) हरियाणा राज्य में लागू पर्यावरणीय कानूनों/नियमों/अधिसूचनाओं (वायु/जल) को लागू करने के लिए **अधिदेशाधीन** है। एचएसपीसीबी प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा कम करने पर राज्य सरकार की व्यापक योजनाएं तैयार करता है तथा सलाह देता है। एचएसपीसीबी के मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है :–

- जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981, ईपी अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रबन्धन सहमति।
- हरियाणा के बड़े शहरों में परिवेशी वायु गुण की ऑनलाईन मोनिटरिंग।
- यमुना, घग्गर नदियों तथा अन्य जल निकायों के जल गुणवत्ता की मोनिटरिंग।
- उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों तथा सामूहिक उपचार तथा निपटान सुविधाओं से वायु उत्सर्जन तथा बहिःस्त्राव निर्वहन की ऑनलाईन मोनिटरिंग।
- ठोस कचरा प्रबन्धन, बायोमेडिकल, खतरनाक ई–अपशिष्ट, सी तथा डी तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों का लागूकरण।
- एमओईएफ एवं सीसी, भारत सरकार द्वारा जारी अरावली अधिसूचना का लागूकरण।

- पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 का लागूकरण।

एचएसपीसीबी को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के लागूकरण की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को वायु के गुण के संरक्षण तथा वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतू वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन अतिरिक्त जिम्मेवारियां भी दी गई थी।

बोर्ड को बाद में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के लागूकरण की जिम्मेवारी दी गई थी।

बोर्ड द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियम तथा नियम नीचे दिए गए हैं :–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
4. सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।
5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए निम्नलिखित नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं :–

   (i) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउन्डरी संचलन) नियम, 2016

   (ii) खतरनाक रसायन विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात नियम, 1989

   (iii) बायोमैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016

   (iv) प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016

   (v) नगरपालिका ठोस कचरा (प्रबन्धन) नियम, 2016

(vi) ई–कचरा (प्रबन्धन) नियम, 2016

(vii) शोर प्रदूषण (विनियमन तथा नियन्त्रण) नियम, 2000

(viii) बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001

(ix) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006

(x) कोयला या प्रज्वलित आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न राख के उपयोग के लिए निर्देशों के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ईपीए) के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14.09.1999 की अधिसूचना।

(xi) अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 07.05.1992 की अधिसूचना।

एचएसपीसीबी का विजन तथा उद्देश्य

उपरोक्त **अधिदेश** को पूरा करने के अलावा, एचएसपीसीबी की दृष्टि तथा उद्देश्य सख्त प्रवर्तन, मोनिटरिंग, निरीक्षण, प्राधिकार तथ विधिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रदूषण (वायु तथा जल) के स्तर में आसपास क्रमिक तथा सुसंगत कमी लान के लिए है। हरियाणा विजन दस्तावेज 2030 एचएसपीसीबी द्वारा मजबूत विनियामक ढ़ांचा प्रस्तुत करना वर्णित करता है। तथापि, विशाल संसाधन अपेक्षित हैं। एचएसपीसीबी व्यापक योजनाओं (राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय हस्तक्षेप) के माध्यम से प्रदूषण (वायु तथा जल) के स्तरों में कटौती प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

अध्याय –2 एच0एस0पी0सी0बी0 के बारे में

1.2 बोर्ड की रचना

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 5 संबंधित राज्यों में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण

बोर्ड के गठन के लिए राज्य सरकार को शक्ति मुहैया करती है। अधिनियम के कथित उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामांकित अध्यक्ष, सदस्य–सचिव तथा पन्द्रह अन्य सदस्य शामिल हैं। बोर्ड के सदस्यों में सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों तथा राज्य नियन्त्रित निगमों के प्रतिनिधि तथा कृषि, मत्स्य, उद्योग या व्यापार के हित का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं।

वर्श 2016–17 के दौरान बोर्ड का अध्यक्ष :

- श्री अनुराग रस्तोगी, आई ए एस (31.05.2016 तक)
- श्री सिद्धि नाथ राय, आई ए एस (01.06.2016 से 19.09.2016)
- श्री कृष्ण कांत वालगद, आई ए एस (20.09.2016 से 04.01.2017)
- श्री के. के. खण्डेलवाल, आई ए एस (04.01.2017 से आगे)

सरकारी सदस्य

निदेशक, पर्यावरण विभाग, हरियाणा, एस सी ओ नं0 1,2,3, सक्टर –17 डी, दूसरी मंजिल, चण्डीगढ़

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, एस सी ओ नं0 6–7, सैक्टर –17 बी, चण्डीगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला

परिवहन आयुक्त, हरियाणा, 30–बेज बिल्डिंग, चण्डीगढ़

मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग,
हरियाणा, पंचकुला

सदस्य सचिव, सचिव हरियाणा राज्य प्रद्षण नियन्त्रण बोर्ड, सी–11, सैक्टर –6, पंचकुला

स्थानीय प्राधिकरणों से सदस्य

कुमारी वीना देशवाल, अध्यक्ष, जिला परिषद, जीन्द, मकान नं0 2642, शहरी सम्पदा, जीन्द

श्री जितेन्द्र भारद्वाज सपुत्र श्री सुभाष चन्द, एम–39, ओल्ड डो एल एफ, निकट सैक्टर –14, गुड़गांव

श्री सुरिन्द्र लाल प्रजापत, उपाध्यक्ष, एम सी धारुहेड़ा, फरीदाबाद, मकान नं0 1016, सैक्टर –15, फरीदाबाद

कृषि, मत्स्य, उद्योग तथा व्यापार आदि से सदस्य

श्री तरुण यादव, गांव व डाकखाना पालावास बोहराण,
तहसील कोसली, रेवाड़ी

अरविन्द कपूर, एम डी, रिचो आटो उद्योग, 33 के एम स्टोन,
दिल्ली–जयपुर राजमार्ग, गुड़गांव

श्री सुनिल राव, मकान नं0 444, सैक्टर–3, शहरी सम्पदा, रेवाड़ी

निगमों तथा कम्पनियों से सदस्य

प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम

प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम, पंचकुला

2.2 हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अमला संख्या

कम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए	रिक्त

ग्रुप –क				
1.	अध्यक्ष	01	01	–
2.	सदस्य–सचिव	01	01	–
3.	पर्यावरणीय इंजीनियर	16	11	05
4.	विज्ञानी "ग"	06	05	01
5.	जिला न्यायवादी	01	01	–
ग्रुप –ख				
1.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	01	01	–
2.	सहायक जिला न्यायवादी	03	02	01
3.	विज्ञानी "ख"	11	08	03
4.	सहायक पर्यावरणीय इंजीनियर	33	29	04
5.	तहसीलदार	01	–	01
6.	रजिस्ट्रार	01	01	–
7.	अधीक्षक	03	03	–
8.	निजी सचिव	01	01	–
ग्रुप –ग				
1.	अनुभाग अधिकारी (लेखा)	01	01	–
2.	सांख्यिकीय सहायक	02	–	02
3.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	04	04	–
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	06	01	05
5.	निजी सहायक	01	01	–
6.	कनिष्ठ पर्यावरणीय	11	09	02

	इंजीनियर			
7.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	03	02	01
8.	सहायक	19	14	05
9.	लेखाकार	04	02	02
10.	कनिष्ठ प्रोग्रामर	02	01	01
11.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	02	—	02
12.	लेखा लिपिक	02	—	02
13.	आशुटंकक	13	—	13
14.	थ्लपिक	30	22	08
15.	चालक	17	11	06
16.	प्रयोगशाला परिचारक	04	04	—
ग्रुप –घ				
1.	दफतरी	01	01	—
2.	वरिष्ठ सेवादार	02	02	—
3.	सेवादार	30	11	19
4.	माली–कम–चौकीदार	02	02	—
5.	क्षेत्र परिचारक	10	06	04
6.	स्वीपर	01	01	—

अध्याय 3 कार्यकलाप तथा अवसंरचना

3.1 बोर्ड के अनिवार्य कार्यकलाप

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–17 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–17 में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की विधिक रुप से अनिवार्य जिम्मेवारियॉ स्पष्ट रुप से विहित हैं जिसका संक्षिप्त सार निम्न अनुसार है :–

- राज्य में जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण करने या कम करने तथा उसके निष्पादन को पक्का करने के लिए व्यापक प्रोग्राम की योजना तैयार करना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित किसी मामले पर राज्य सरकार का सलाह देना;
- जल तथा वायु प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्र करना तथा उसके निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए प्रचार करना;
- जल प्रदूषण की समस्या तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित अन्वेषण तथा अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना, संचालन करना तथा उसमें भाग लेना;
- जल तथा वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने से संबंधित कार्यक्रमों में लगे या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने तथा उससे संबंधित व्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड को सहयोग देना;
- मल जल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लिए स्थापित मलजल या व्यापार बहिःस्राव उपचार संकर्म तथा संयन्त्रों तथा जल के उपचार के लिए स्थापित संयन्त्रों, उसके शुद्धिकरण के लिए संकर्मों से संबंधित योजनाओं, विशिष्टियां या अन्य डाटा के पुनरीक्षण तथा मलजल या व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए प्रणाली या कोई सहमति देने के संबंध में जो जल अधिनियम या वायु अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो या कोई प्राधिकार या रजिस्ट्रेशन देने के संबंध में जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित हो, का निरीक्षण करना;

- सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी नियन्त्रण उपकरण, औद्योगिक संयन्त्र या विनिर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण करना तथा ऐसे व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसे निर्देश देना जो यह वायु प्रदूषण क निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने आवश्यक समझे।
- ऐसे अन्तरालों पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र का निरीक्षण करना जो यह उसमें वायु गुण के निर्धारण तथा ऐसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के निवारण, नियन्त्रण या कम करने के लिए कदम उठाने आवश्यक समझे;
- मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव तथा बहिःस्राव के निर्वहन के परिणामस्वरुप जल प्राप्ति (अन्तर–राज्य नदी में जल का नहीं) के गुण तथा राज्य के जल का वर्गीकरण करने के लिए मानक अधिकथित करना, संशोधित करना या वार्षिक बहिःस्राव मानक अधिकथित करना;
- केन्द्रीय बोर्ड के परामर्श से तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिकथित वायु गुण के लिए मानकों, औद्योगिक संयन्त्रों तथा आटोमोबाइल से वातावरण मे वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानकों को ध्यान में रखते हुए तथा किसी भी प्रकार के किसी अन्य स्त्रोत जहाज तथा वायुयान के कारण नहीं, वातावरण में किन्हीं वायु प्रदूषकों के निर्वहन के लिए मानक अधिकथित करना;
- विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी, जलवायु तथा जल संसाधनों की विशिष्ट स्थिति तथा नदी तथा कुओं में जल के विशेष रुप से अधिक अभिभावी बहाव को ध्यान में रखते हुए मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार के लाभकारो तथा विश्वसनीय पद्धति तैयार करना जो तनुकरण की न्यूनतम डिग्री प्राप्त करने के लिए उसे असंभव करे;
- कृषि तथा अन्य उपयोगों में मलजल तथा उपयुक्त व्यापार बहिःस्राव के उपयोग की पद्धति तैयार करना;
- भूमि पर मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान की पर्याप्त पद्धति तैयार करना जो अल्प नदी बहाव की अभिभावी स्थिति के कारण आवश्यक हो कि वर्ष के बड़े भाग के लिए तनूकरण की न्यूनतम डिग्री मुहैया नहीं करती है;
- किसी विशेष नदी में उपलब्ध न्यूनतम स्वच्छ मौसम तन्करण को ध्यान में रखते हुए उस नदी में बहाए जाने वाले मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के उपचार तथा ऐसे बहिःस्राव

के निर्वहन के बाद नदी के जल में अनुज्ञेय प्रदूषण की सहन सीमाओं के मानक अधिकथित करना;

- नदी या कुओं में अपशिष्ट के निर्वहन के निवारण, नियन्त्रण तथा कम करने के लिए तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के निपटान के लिए नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए संबंधित किसी व्यक्ति से अपेक्षा करने या किसी ऐसी विद्यमान प्रणाली को संशोधित करने, बदलने या विस्तार करने या ऐसे उपचारी उपाय अपनाने के लिए कोई आदेश करना, परिवर्तित करना या रद्द करना जो जल प्रदूषण को रोकने, नियन्त्रण या कम करने के लिए आवश्यक हो;
- मलजल या मलिन जल या दोनों का निर्वहन करते समय व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले बहिःस्राव मानक अधिकथित करना तथा मलजल तथा व्यापार बहिःस्राव के लिए बहिःस्राव मानक अधिकथित, संशोधित या रद्द करना;
- किसी उद्योग के किन्हीं परिसरों या स्थान की उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना जिसमें वायु प्रदूषण करने की संभावना या किसी नदी या कुएं को प्रदूषित करने की संभावना है;
- ऐसे अन्य कार्य करना जो विहित किए जाए या जो समय–समय पर केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं; तथा
- ऐसी अन्य बातें करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना जो वह अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए तथा साधारणतया वायु अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

यद्यपि बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेवारी हरियाणा राज्य में पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने के लिए है किन्तु पिछले दशक के दौरान प्रदूषण को नियन्त्रित करने तथा सामंजस्य के माध्यम से लम्बे समय से विभिन्न स्थाई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी करने के लिए आथिक साधनों सहित कमाण्ड तथा नियन्त्रण प्रणाली के विवेकपूर्ण मिश्रण से पर्यावरणीय विनियमों को लागू करने की धारणा में प्रतिमान बदल गया है, जहां बोर्ड अपने अनिवार्य कार्यकलापों से बाहर चला गया है तथा सरकारी विभागों की परियोजनाओं में प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए प्रोत्साहक के रुप में कार्य कर रहा है, सहायता मुहैया कर रहा है।

3.2 बोर्ड की अवसंरचना

बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। राज्य में बोर्ड के 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि धारुहेड़ा, बल्लभगढ़, गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद (दो), बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, हिसार, यमुनानगर तथा जीन्द एट भिवानी में स्थित हैं।

बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं के बहिःस्राव/जल तथा वायु उत्सर्जन तथा जल निकायों तथा परिवेशी वायु गुण के विभिन्न किस्म के नमूनों के विश्लेषण के कार्य करने के लिए पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद तथा हिसार में चार प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

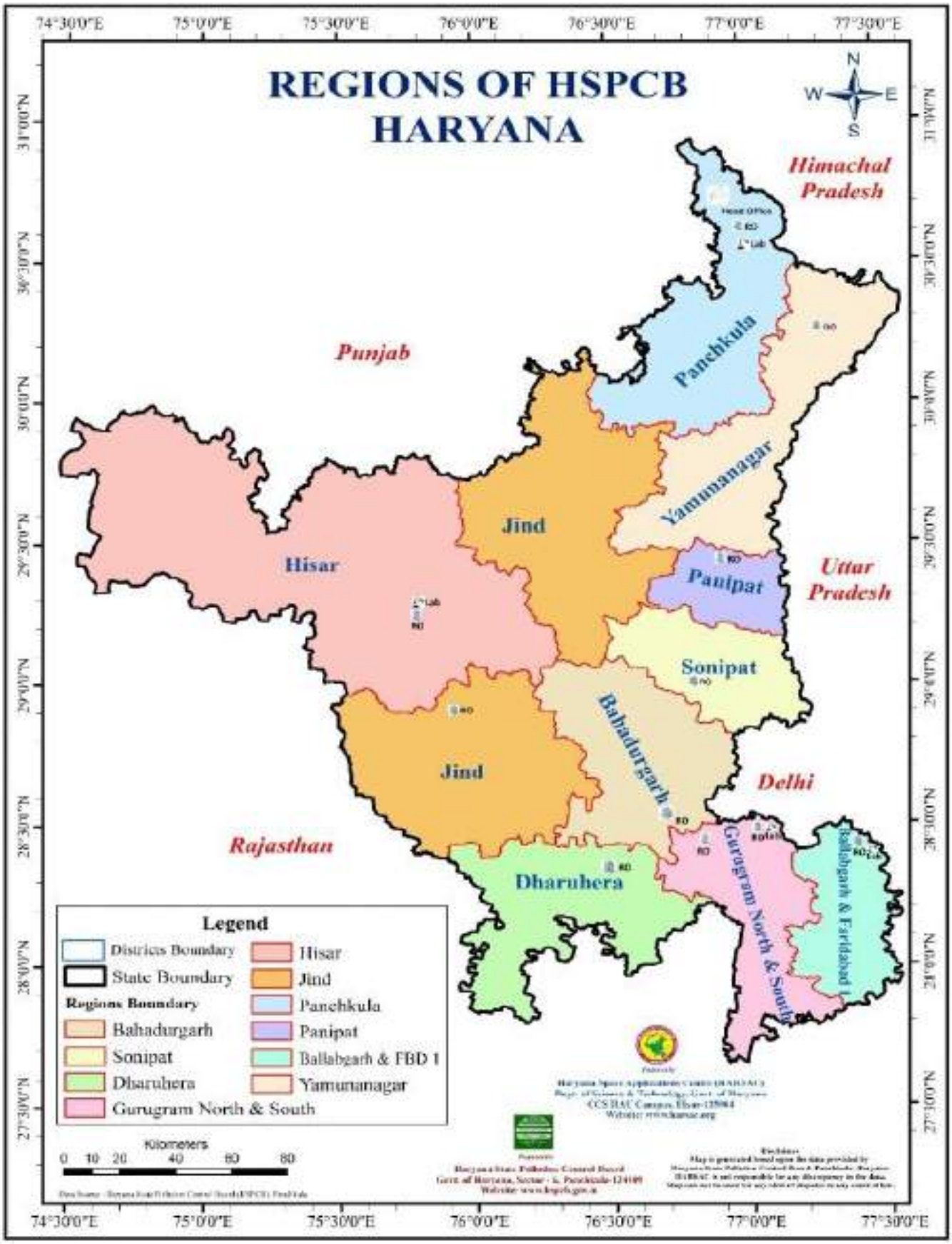
REGIONS OF HSPCB
HARYANA
Himachal Pradesh
Punjab
Uttar Pradesh
Rajasthan
Delhi
Panchkula
Yamunanagar
Jind
Hisar
Panipat
Sonipat
Bahadurgarh
Jind
Dharuhera
Gurugram North & South
Ballabgarh & Faridabad
Legend
Districts Boundary
State Boundary
Regions Boundary
Bahadurgarh
Sonipat
Dharuhera
Gurugram North & South
Hisar
Jind
Panchkula
Panipat
Ballabgarh & FBD 1
Yamunanagar
Kilometers
0 10 20 40 60 80

3.3 बोर्ड की कार्यात्मक संरचना

बोर्ड अपने इंजीनियरिंग विंग, वैज्ञानिक विंग, कानूनी विंग, प्रशासकीय विंग, लेखा विंग तथा सूचना प्रोद्योगिकी सैल के माध्यम से कार्य करता है। इंजीनियरिंग विंग की अध्यक्षता पर्यावरणीय इंजीनियरों द्वारा की जाती है तथा मुख्य रुप से हरियाणा राज्य में विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में शामिल है जिसमें लोक शिकायतों के कार्य की निगरानी तथा उनका निवारण करना भी शामिल है।

बोर्ड की चार प्रयोगशालाओं की देखभाल करने के लिए वैज्ञानिक विंग की अध्यक्षता विज्ञानियों द्वारा की जाती है तथा विभिन्न पर्यावरणीय मानीटरिंग परियोजनाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय विधानों को लागू करने में भी शामिल है। विभिन्न कानूनी न्यायालयों में बोर्ड के विधिक पहलुओं की देखभाल करने तथा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक विंग की अध्यक्षता जिला न्यायवादी द्वारा की जाती है। प्रशासकीय विंग बोर्ड के कर्मचारियों के प्रशासकीय तथा व्यक्तिगत मामलों की देखरेख कर रहा है। लेखा विंग बोर्ड के लेखों तथा वित्त से संबंधित मामलों की देखरेख कर रहा है।

अध्याय– 4 : दोषी इकाईयों के विरुद्ध कायवाही

4.1 बन्द करने की (बन्दी) कार्यवाही

बोर्ड ऐसी इकाईयां जो जल अधिनियम, 1974 / वायु अधिनियम, 1981 के अधीन प्रदूषकों के निर्वहन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है या बोर्ड की सहमति प्राप्त करने में असफल हैं या समय–समय पर विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन बोर्ड या सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी निर्देशनों का अनुपालन करने में असफल होती है, के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33–क के अधीन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 31–क के अधीन तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन बन्दी कार्रवाई कर रहा है।

उपरोक्त कथित अधिनियमों के अधीन अनुपालन न करने के कारण चूक करने वाली इकाईयों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र	ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयां की संख्या	जल अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	वायु अधिनियम, 1981 के अधीन जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जल तथा वायु अधिनियम के अधीन संयुक्त रुप से जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की संख्या	जारी किए गए बन्दी आदेश इकाईयों की कुल संख्या
बहादुरगढ़	0	0	29	23	52
बल्लभगढ़	0	0	10	49	59
धारुहेड़ा	2	0	21	33	56
फरीदाबाद	0	48	01	06	55
गुड़गांव (उत्तर)	0	1	4	18	23
गुड़गांव	0	12	0	0	12

(दक्षिण)					
हिसार	0	0	20	6	26
जीन्द	0	1	12	4	17
पंचकुला	2	0	3	24	29
पानीपत	1	15	1	6	23
सोनीपत	1	0	0	20	21
यमुनानगर	10	0	5	51	66
कुल	**16**	**77**	**106**	**240**	**439**

विधिक कायवाई

बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अधीन विशेष पर्यावरण न्यायालयों में न्यायालय मामले दायर करते हुए उपरोक्त कथित अधिनियमो/नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी कर रहा है।

न्यायालय मामलों की स्थिति नीचे दी गई है :–

(क) दायर किए गए नए मामले :

क्षेत्र	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध ई पी अधिनियम, 1986 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला दायर किया गया है**	**इकाईयों की संख्या जिनके विरुद्ध जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन न्यायालय मामला एक साथ दायर किया गया है**
बहादुरगढ़	0	0	0	1
बल्लभगढ़	0	2	0	3
धारुहेड़ा	0	0	1	1
गुड़गांव	0	1	0	0
जीन्द	0	4	5	9
पंचकुला	0	0	0	29
पानीपत	0	0	4	5
सोनीपत	0	1	0	1
कुल	**0**	**8**	**10**	**49**

(ख) निर्णीत न्यायालय मामले :

क्षेत्र	ई पी अधिनियम के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		जल अधिनियम, 1974 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		वायु अधिनियम, 1981 के अधीन निर्णीत न्यायालय मामलों की संख्या		निर्णीत न्यायालय मामलों की कुल संख्या	
	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध	बोर्ड के पक्ष में	बोर्ड के विरुद्ध
बहादुरगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
बल्लभगढ़	0	2	0	0	0	0	0	2
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	2	0	2
गुड़गांव (उत्तर)	0	5	0	0	0	0	0	5
गुड़गांव (दक्षिण)	0	21	0	0	0	0	0	21
हिसार	0	0	0	0	9	0	9	0
जीन्द	0	5	0	5	0	0	0	10
पानीपत	0	0	3	0	2	0	2	3
यमुनानगर	0	1	0	0	0	0	0	1
कुल	**0**	**34**	**3**	**5**	**11**	**2**	**11**	**44**

(ग) विशष पर्यावरण न्यायालयों में लम्बित न्यायालय मामले :

क्षेत्र	ई पी अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	जल अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	वायु अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या	जल तथा वायु (दोनों) अधिनियम के अधीन लम्बित न्यायालय मामलों की संख्या
बहादुरगढ़	20	1	19	1
बल्लभगढ़	1	2	0	16
धारुहेड़ा	2	4	4	10
फरीदाबाद	6	34	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	99	4	8	12
गुड़गांव (दक्षिण)	262	0	0	0
हिसार	3	0	1	0
जीन्द	1	5	16	0
पंचकुला	6	4	1	30
पानीपत	0	6	6	5
सोनीपत	6	2	0	8
यमुनानगर	4	5	4	0
कुल	**410**	**67**	**59**	**82**

अध्याय–5 : घोर रुप से तथा उच्च रुप से प्रदूषित उद्योग

5.1 घोर रुप से प्रदूषण वाले उद्योग (जी पी आई)

जलमार्ग में बहिःस्राव छोड़ने वाले उद्योग तथा

(क) खतरनाक पदार्थों का निपटान, या

(ख) 100 किलाग्राम प्रति दिन या अधिक के बी ओ डी भार वाले बहिःस्राव, या

(ग) (क) तथा (ख) के संयोजन को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बी) द्वारा घोर रुप से प्रदूषित इकाई के रुप में वर्गीकृत किया है। वर्ष 1993–94 में, सी0 पी0 सी0 बी0 ने प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से नदियों में अनुपचारित बहिःस्राव के निर्वहन का नियन्त्रण करने के लिए नदियों के साथ उद्योगों की पहचान करनी शुरु की है।

जल अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अधीन सी पी सी बी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा घोर रुप से प्रदूषित उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए जी0 पी0 आई0 को सूचीबद्ध करने के लिए 14 जुलाई, 1997 को सभी राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को निर्देश जारी किए गए थे।

उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार हरियाणा में घोर रुप से प्रदूषित उद्योगों की स्थिति नीचे दी गई ह :–

क्षेत्र	घोर रुप से प्रदूषित उद्योगों की संख्या	अनुपालन स्थिति		अननुपालन इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
		अनुपालन	अननुपालन	बन्दी	अभियोजन	बन्दी तथा अभियोजन	एससीएन के अधीन
बहादुरगढ़	81	81	0	0	0	0	0
बल्लभगढ़	134	127	7	7	0	0	0
धारुहेड़ा	12	12	0	0	0	0	0
फरीदाबाद	15	15	0	0	0	0	0

गुड़गांव (उत्तर)	126	126	0	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	113	112	1	1	0	0	0
जीन्द	2	2	0	0	0	0	0
पंचकुला	45	37	8	8	0	0	0
पानीपत	10	9	1	1	0	0	0
सोनीपत	112	109	3	3	0	0	0
यमुनानगर	10	10	0	0	0	0	0
कुल	**660**	**640**	**20**	**20**	**0**	**0**	**0**

5.2 उच्च रुप से प्रदूषण वाले 17 प्रवर्ग के उद्योग

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों में पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी, 1991 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राथमिक कार्रवाई के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम सूत्रबद्ध किया है।

सी0 पी0 सी0 बी0 ने भारी प्रदूषित उद्योगों के 18 प्रवर्गों का चयन किया है तथा विचार–विमर्श के बाद उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों का एल्यूमिनियम प्रगलन, बेसिक ड्रग तथा फार्मासियुटिकल निर्माण, चलोर अल्काली/कास्टिक सोडा, सीमेन्ट, तांबा प्रगलन, रंग तथा रंग मध्यस्थ, आसवनी, उर्वरक, समेकित लोहा तथा इस्पात, चर्म शोधन सहित चमड़ा प्रसंस्करण, तेल परिष्करण शाला, कीटनाशी निर्माण, गूदा या कागज, पैट्रोरसायन, चीनी, थर्मल पावर प्लांट तथा जिंक प्रगलन के नाते सी0 पी0 सी0 बी0 के माध्यम से नियमित पीछा करने का निश्चय किया है।

उच्च रुप से प्रदूषित उद्योगों के 17 प्रवर्गों की स्थिति नीचे दी गई है :–

क्षेत्र	उच्च रुप से प्रदूशित उद्योगों के 17 प्रवर्गों की संख्या	के अधीन अनुपालन स्थिति			अननुपालन इकाईयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही			
		वायु अधिनियम	जल अधिनियम	एच डब्ल्यू एम नियम	बन्दी	अभियोजन	बन्दी तथा अभियोजन	एस सी एन के अधीन
बहादुरगढ़	48	48	48	44	0	0	0	0
बल्लभगढ़	8	8	8	8	0	0	0	0
धारुहेड़ा	1	1	1		0	0	0	0
फरीदाबाद	3	3	3	3	0	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	1	1	1	1	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	3	3	3	3	0	0	0	0
हिसार	5	4	4	4	1	0	0	0
जीन्द	7	7	7	7	0	0	0	0
पंचकुला	13	11	11	11	1	0	0	0
पानीपत	9	8	8	6	1	0	0	0
सोनीपत	20	0	17	0	3	0	0	0
यमुनानगर	13	11	11	11	2	0	0	0
कुल	**131**	**105**	**122**	**46**	**8**	**0**	**0**	**0**

अध्याय–6 जागरुकता प्रोग्राम

6.1 जागरुकता प्रोग्राम

विभिन्न पर्यावरण समस्याओं पर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए हरियाणा राज्य के विभिन्न स्थानों पर जागरुकता प्रोग्राम आयोजित किए गए थे।

आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों के ब्योरे क्षेत्रवार नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्रीय कार्यालय	**आयोजित जागरुकता प्रोग्रामों की संख्या**
बहादुरगढ़	4
बल्लभगढ़	10
धारुहेड़ा	5
फरीदाबाद	8
गुड़गांव (उत्तर)	5
गुड़गांव (दक्षिण)	2
हिसार	5
जीन्द	4
पंचकुला	4
पानीपत	3
सोनीपत	4
यमुनानगर	3
कुल	**57**

अध्याय–7 : बहिःस्राव उपचार संयन्त्र तथा वायु प्रदूशण नियन्त्रण यन्त्र के ब्यौर

7.1 ई टी पी, एस टी पी तथा सी ई टी पी

बहिःस्राव उपचार संयन्त्र (ई टी पी), मलजल उपचार संयन्त्र (एस टी पी) तथा सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सी ई टी पी)

व्यापार बहिःस्राव तथा घरेलू बहिःस्राव (10 किलो लीटर प्रतिदिन से अधिक) उत्पन्न करने वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसका नियमित रुप से रख–रखाव करने तथा उसके बाद प्रभावशाली रुप से उसे चलाने के लिए उसे चालू करने से पूर्व ई टी पी/एस टी पी लगाने अपेक्षित हैं।

औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं में लगाई गई नई ई टी पी/एस टी पी के ब्योरे :–

क्षेत्र	नई लगाई गई ई टी पी/एस टी पी की संख्या		
	ई टी पी	एस टी पी	ई टी पी तथा एस टी पी दोनों
बहादुरगढ़	9	6	1
बल्लभगढ़	11	4	2
धारुहेड़ा	3	1	0
फरीदाबाद	3	14	0
गुड़गांव (उत्तर)	4	17	2
गुड़गांव (दक्षिण)	22	10	0
हिसार	4	1	0
जीन्द	2	0	2
पंचकुला	7	1	1
पानीपत	13	4	0

सोनीपत	33	6	0
यमुनानगर	10	5	1
कुल	**121**	**69**	**9**

संशोधित/अपग्रेडिड ई टी पी/एस टी पी वाले उद्योगों/परियोजनाओं के ब्योरे :–

क्षेत्र	**संशोधित ई टी पी उद्योगों की संख्या**	**संशोधितएस टी पी उद्योगों की संख्या**	**संशोधित एस टी पी तथा ई टी पी दोनों उद्योगों की संख्या**
बहादुरगढ़	4	0	0
बल्लभगढ़	3	3	0
धारुहेड़ा	4	1	5
फरीदाबाद	0	0	1
गुड़गांव (उत्तर)	3	4	0
पंचकुला	2	0	0
पानीपत	18	1	0
सोनीपत	9	2	0
यमुनानगर	3	3	0
कुल	**46**	**14**	**6**

विभिन्न नगरों में लगाई गई एस टी पी के ब्यौरे

क्षेत्र	लगाई गई नई एस टी पी की संख्या	नगरों की संख्या जहां नई एस टी पी लगाई गई	क्षमता
बहादुरगढ़	1	1	19
बल्लभगढ़	2	2	4500 केएलडी तथा 300 केएलडी
धारुहेड़ा	1	1	9.5
हिसार	1	1	5 एमएलडी
पंचकुला	8	8	35.50 एमएलडी
पानीपत	2	1	20 एमएलडी 25 एमएलडी
यमुनानगर	2	2	9.5
कुल	**17**	**16**	—

औद्योगिक समूहों/सम्पदाओं में लगाई गई नई सी ई टी पी के ब्यौरे

क्षेत्र	लगाई गई नई सी ई टी पी की संख्या	स्थान	क्षमता
बहादुरगढ़	1	आई एम टी, रोहतक	10
बल्लभगढ़	1	आई एम टी, फरीदाबाद	10200 केएलडी
सोनीपत	1	बरही	16 एमएलडी
कुल	**3**	—	—

7.2 वायु प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र (ए पी सी डी)

वायु उत्सर्जन के स्त्रोत वाली सभी प्रदूषित औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण के स्त्रोत से संलग्न ढ़ेरों से उत्पन्न विविक्त मामलों तथा गैसीय उत्सर्जन तथा विहित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को प्रक्रिया से उत्पन्न अस्थायी उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए उसका नियमित रुप से रख रखाव करने तथा उसके बाद उसे प्रभावी रुप से चलाने से पूर्व ए पी सी डी लगाने अपेक्षित हैं।

नए/ संशोधित ए0 पी0 सी0 डी0 लगाने वाली औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का ब्योरा :–

क्षेत्र	**नए ए पी सी एम लगाने वाले उद्योगों की संख्या**	**संशोधित ए पी सी एम वाले उद्योगों की संख्या**
बहादुरगढ़	21	1
बल्लभगढ़	13	0
धारुहेड़ा	11	4
फरीदाबाद	2	1
हिसार	10	0
जीन्द	54	3
पंचकुला	11	1
पानीपत	18	0
सोनीपत	56	4
यमुनानगर	67	6
कुल	**263**	**20**

अध्याय– 8 : जल अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

8.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 के अधीन उपकर संग्रहण

भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से उद्योगों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा खपत जल पर उपकर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का उपबन्ध करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1977 अधिनियमित किया है। जल उपकर अधिनियम, 1977 प्रथम अप्रैल, 1978 से लागू हुआ था। अधिनियम की धारा 2 तथा धारा 3 में परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण तथा उद्योग उपरोक्त कथित अधिनियम में विहित दरों पर उपकर का भुगतान करने के लिए दायी हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान 4,76,45,122.27/– रुपये की उपकर राशि संग्रहित की गई है तथा क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्षेत्र का नाम	निर्धारित उपकर (रु0 में)	संग्रहित उपकर (रु0 में)
बहादुरगढ़	46,36,678.00	56,42,597.25
बल्लभगढ़	63,93,548.00	6,37,438.00
धारुहेड़ा	20,75,387.00	20,86,623.00
फरीदाबाद	26,79,484.00	54,73,003.00
गुड़गांव (उत्तर)	40,93,205.00	17,38,591.63
गुड़गांव (दक्षिण)	47,43,835.00	41,38,502.00
हिसार	42,84,494.00	28,57,764.00
जीन्द	17,74,783.00	21,26,062.00
पंचकुला	57,25,410.00	49,77,058.00
पानीपत	1,04,60,036.00	1,15,99,428.60
सोनीपत	34,83,164.00	31,02,759.00
यमुनानगर	69,74,930.00	32,65,295.79
कुल	**5,73,24,954.00**	**4,76,45,122.27**

नोट :– संग्रहित उपकर की राशि में उपकर का बकाया भी शामिल है।

अध्याय– 9 : सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी

9.1 सामान्य

देश के आर–पार वायु प्रदूषण के बढ़ने से बारह पैरामीटरों के लिए संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायुगुण मानक एम ओ ई एफ तथा सी सी द्वारा वर्ष 2009 में अधिसूचित किए थे जिसमें गैसीय उत्सर्जन जैसे कि सल्फर डाईआक्साइड, नाईट्रोजन डाईओक्साईड, ओजोन, सीसा, कार्बन मोनोओक्साईड, अमोनिया, बैनजीन, बैन्जो (क), संखिया, 10 माईक्रोन तथा 2.5 माईक्रोन इत्यादि से कम आकार के निक्कल तथा विविक्त मामले शामिल हैं। संशोधित मानकों के अनुसार, आवासीय, ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वही मानक हैं।

संशोधित परिवेशी वायु गुण मानक वायु प्रदूषण तथा जन स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए विधिक ढ़ांचा मुहैया करते हैं जो कि बेहतर वायु गुण के लिए न्यायालय में पंहुच हेतू किसी नागरिक का प्रावधान है। भारत में ये मानक केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (सी पी सी बो) द्वारा शासित है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/प्रदूषण नियन्त्रण समितियों द्वारा लागू किए जाते हैं।

सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग में राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अन्तःसम्पर्क से उपयुक्त साफ्टवेयर के साथ पी सी आधारित डाटा अर्जन प्रणाली सहित गैस तथा बी टी एक्स विश्लेषक, धूल विश्लेषक, मौसम मानीटर तथा सम्बद्ध सहायक मदों को मिलाकर सी पी सी बी/एस पी सी बी मार्गदर्शनों के अनुसार स्थिर सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना शामिल है। बोर्ड ने फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक तथा पंचकुला में चार सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग स्टेशन स्थापित किए हैं तथा इन स्टेशनों पर मानीटर डाटा प्रमुख लोक स्थानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं तथा बोर्ड तथा सी0 पी0 सी0 बी0 के सरवर से जुड़े हुए हैं।

9.2 वर्ष 2016–17 के लिए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग रिपोर्ट, गुड़गांव, पंचकुला, बहादुरगढ़ तथा फरीदाबाद के शहरों के लिए तालिकाबद्ध की गई है। डाटा तालिका तथा ग्राफ के रुप में प्रस्तुत की गई है।

ग्राफ वायु प्रदूषकों के मासिक औसत पर प्रकाश डालता है जहां एक्स–अक्ष समय को प्रस्तुत करता है तथा वाई– अक्ष (प्राथमिक तथा द्वितीय) इकाई के प्रदूषकों के माप को प्रस्तुत करता है। वाई–अक्ष (प्राथमिक) पर प्रकाशित प्रदूषक विविक्त मामला (पीएम 2.5), नाईट्रोजन डाई ऑक्साईड (एनओटू), नाईट्रोजन ऑक्साईड (एनओएक्स) तथा ओजोन (ओ3) हैं जबकि वाई–अक्ष (द्वितीय) पर जो प्रकाशित हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साईड (सीओ), नाईट्रिक ऑक्साईड (एनओ) तथा सल्फर डाई ऑक्साईड (एसओ2) तथा बेन्जीन शामिल हैं।

(क) सतत् परिवेशी वायु गुण मानीटरिंग केन्द्र, गुड़गांव

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया पाईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, विकास सदन, नए न्यायालय के सामने, गुड़गांव						
पैरामीटर / इकाई	**पीएम2.5**	**सीओ**	**एनओ**	**एनओ2**	**एनओx**	**ओ3**	**एसओ2**
मास	मा.ग्रा./मी3	मि.ग्रा./मी3	मा.ग्रा./मी3	मा.ग्रा./मी3	मा.ग्रा./मी3	मा.ग्रा./मी3	मा.ग्रा./मी3
अप्रैल–16	102.59	1.61	7.91	35.78	43.69	34.02	14.47
मई–16	96.08	1.15	2.68	15.60	18.27	33.95	5.96
जून–16	89.38	0.57	5.62	16.46	22.04	26.23	3.60
जूलाई–16	65.25	0.56	4.88	17.39	22.38	26.30	3.33
अगस्त–16	55.98	0.65	6.07	17.72	23.90	26.94	3.30
सितम्बर–16	77.16	1.00	8.02	21.65	29.68	21.91	2.87
अक्तूबर–16	100.48	0.72	7.20	21.27	28.52	29.26	3.38
नवम्बर–16	162.31	1.02	7.82	11.15	18.85	26.92	5.24
दिसम्बर–16	217.01	082	7.79	11.06	18.72	16.25	6.11
जनवरी–17	206.50	1.39	5.92	10.48	15.99	13.68	5.56
फरवरी–17	147.45	0.95	9.93	12.70	22.06	82.89	6.48
मार्च–17	101.94	0.59	5.94	14.78	20.58	47.23	13.39

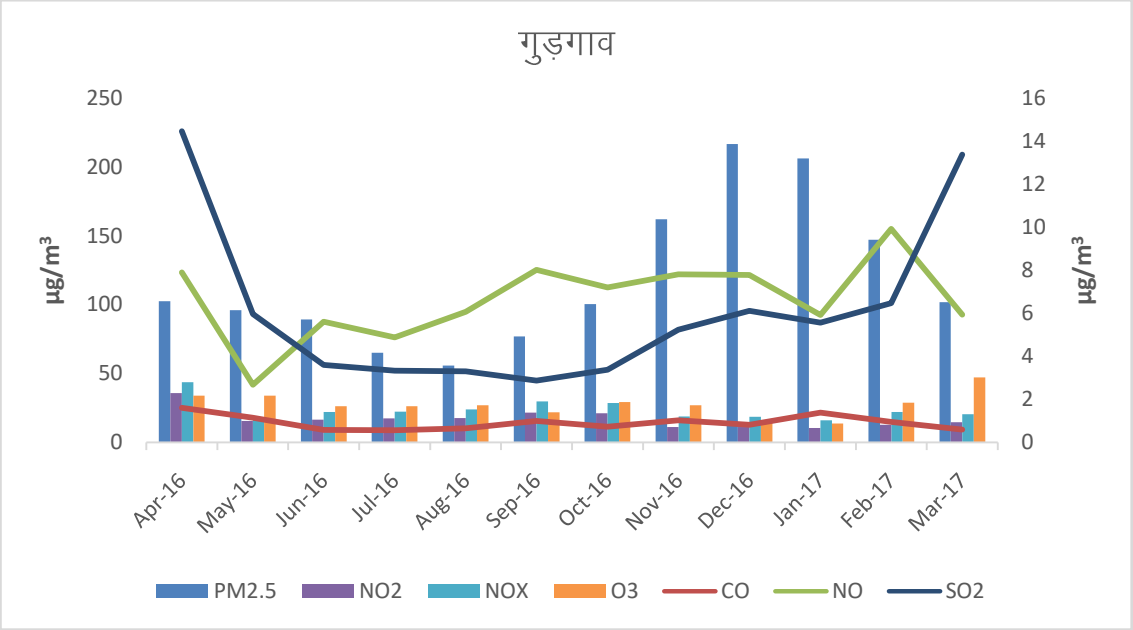

(ख)

सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, पंचकुला

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, विकास सदन, नए न्यायालय के सामने, पंचकुला						
पैरामीटर / इकाई	पीएम2.5	सीओ	एनओ	एनओ2	एनओx	ओ3	एसओ2
मास	मा.ग्रा / मी³	मि.गा / मी³	मा.ग्रा / मी³	मा.ग्रा./ मी³	मा.ग्रा./ मी³	मा.ग्रा./ मी³	मा.ग्रा./ मी³
अप्रैल–16	43.16	0.85	3.49	23.63	27.42	38.50	7.40
मई–16	40.49	0.65	3.61	24.49	28.03	41.22	7.13
जून–16	4025	0.81	3.58	15.97	19.05	37.49	4.27
जुलाई–16	43.42	0.79	4.12	19.70	23.69	31.22	3.22
अगस्त–16	31.78	0.81	4.00	19.76	23.55	20.93	5.35
सितम्बर–16	52.84	0.85	2.83	22.36	25.19	27.87	3.98
अक्तूबर–16	61.48	0.70	3.60	20.66	23.82	37.94	7.18
नवम्बर–16	66.71	0.51	3.86	21.22	24.00	35.40	6.88
दिसम्बर–16	80.34	0.58	4.00	17.55	20.85	24.62	5.28
जनवरी–17	52.81	0.43	3.78	19.62	21.24	22.78	3.38
फरवरी–17	55.01	0.52	3.93	21.18	21.18	32.94	5.09
मार्च–17	42.22	0.55	4.29	23.02	23.21	28.77	7.10

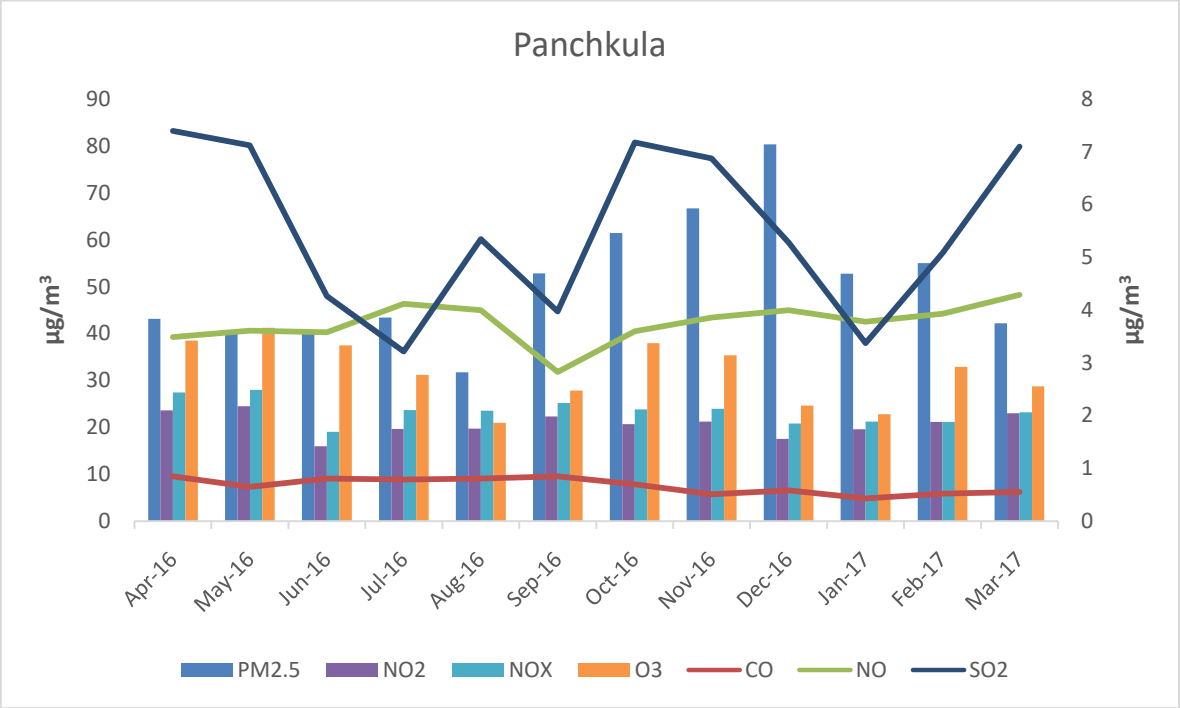

(ग) सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, बहादुरगढ़

मानीटरिंग एजेंसी :	पर्यावरण एस ए इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एम डी विश्वविद्यालय, रोहतक, बहादुरगढ़						
पैरामीटर / इकाई	पीएम2.5	सीओ	एनओ	एनओ2	एनओx	ओ3	एसओ2
मस	मा.ग्रा / मी^{3}	मि.गा / मी^{3}	मा.ग्रा / मी^{3}	मा.ग्रा / मी^{3}	मा.ग्रा./ मी^{3}	मा.ग्रा./ मी^{3}	मा.ग्रा./ मी^{3}
अप्रैल–16	47-57	1.09	7.84	21.70	29.53	20.13	4.66
मई–16	41.78	1.02	1.02	17.70	24.73	19.53	4.13
जून–16	39-37	0.80	4.44	10.91	15.35	16.86	3.93
जुलाई–16	32.10	0.49	4.50	16.77	21.28	22.32	3.36
अगस्त–16	36.02	0.49	4.59	16.27	20.86	23.59	2.81
सितम्बर–16	43.61	0.81	6.71	18.28	24.75	19.02	2.59
अक्तूबर–16	58.58	0.57	5.58	19.75	25.32	30.66	3.80
नवम्बर–16	72.84	0.79	5.99	15.03	20.98	19.55	3.40
दिसम्बर–16	97.93	0.70	8.07	16.97	25.31	21.24	3.92
जनवरी–17	84.80	0.87	6.76	13.59	20.35	19.45	4.56
फरवरी–17	76.96	0.83	7.76	12.16	19.92	20.06	4.57
मार्च–17	57.87	0.48	5.09	14.29	19.39	26.11	4.13

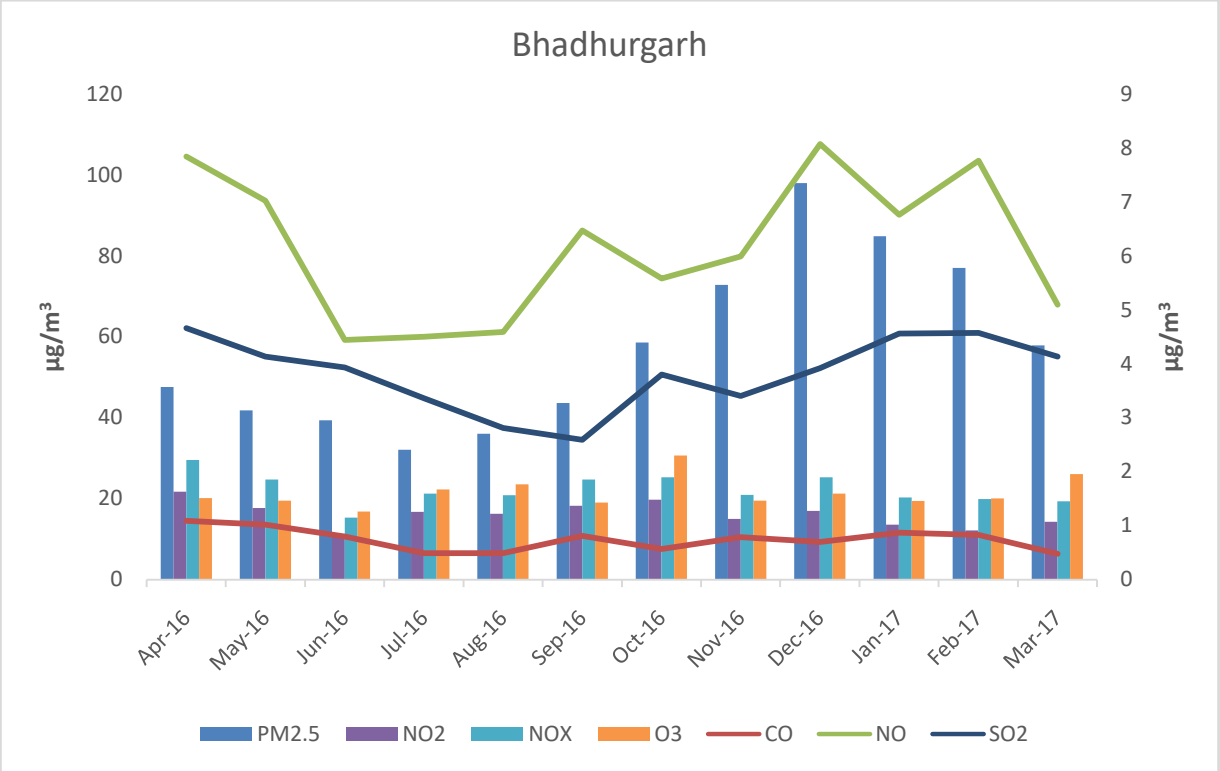

(घ) सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग केन्द्र, फरीदाबाद

मानीटरिंग एजेंसी :	इनवीरोटेक आनलाईन इक्वीपमैन्ट प्रा0 लिमिटेड						
केन्द्र का नाम :	एच एस पी सी बी, सैक्टर–16 ए, फरीदाबाद						
पैरामीटर / इकाई	पीएम2.5	सीओ	एनओ	एनओ2	बेन्जीन	ओ3	एसओ2
मास	मा. ग्रा / मी³	मो ग्रा / मी³	मा. ग्रा / मी³	मा. ग्रा / मी³	मा. ग्रा / मी³	मा. ग्रा / मी³	मा. ग्रा / मी³
अप्रैल–16	110	1.4	46.2	50.2	1.93	32.8	26.4
मई–16	85	1.0	15.3	47.0	0.94	30.8	5.5
जून–16	70	0.8	7.1	32.2	0.53	38.8	5.3
जुलाई–16	48	0.9	9.7	25.9	.57	24.8	5.6
अगस्त–16	41	1.90	7.19	23.61	0.23	35.61	6.02
सितम्बर–16	62	0.85	7.07	34	0.08	29.73	5.65
अक्तूबर–16	155	2.36	72.50	35.61	11.09	40.21	17.35
नवम्बर–16	245	2.60	76.81	79.84	11.88	42.97	26.21
दिसम्बर–16	237	2.25	69.70	60.18	6.92	36.91	18.40
जनवरी–17	181	2.48	64.37	50.70	3.12	29.70	13.44
फरवरी–17	115	1.59	44.36	54.14	1.42	34.79	11.31
मार्च–17	86	1.77	44.1	45.64	0.30	16.94	7.99

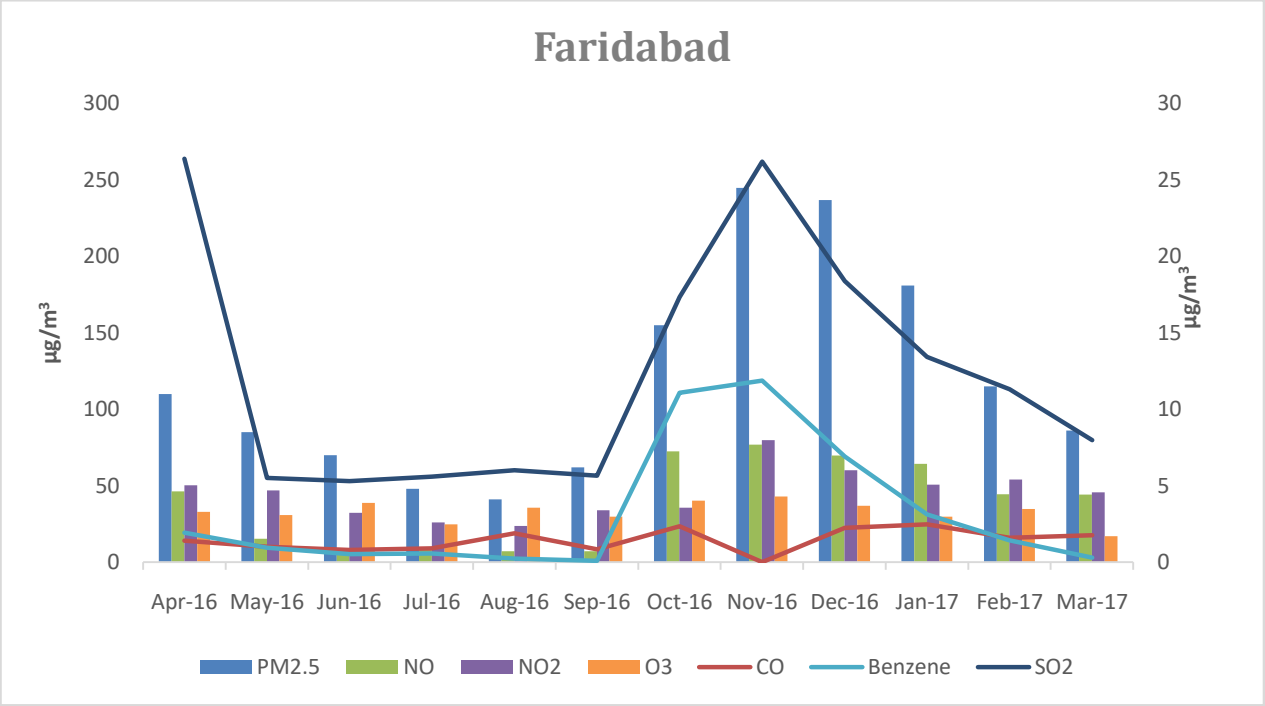
Faridabad
300
250
200
150
100
50
0
µg/m³
30
25
20
15
10
5
0
µg/m³
Apr-16
May-16
Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
PM2.5
NO
NO2
O3
CO
Benzene
SO2

अध्याय– 10 : जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति

10.1 औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं का प्रवर्गीकरण : लाल, नारंगी, हरे तथा सफेद प्रवर्ग

बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पत्र दिनांक 07.03.2016 द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन सहमति प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए लाल, नारंगी, हरे तथा सफेद प्रवर्गों के अधोन औद्योगिक सैक्टरों/परियोजनाओं को पुनः प्रवर्गीकृत किया है।

नए प्रवर्गीकरण के अनुसार उद्यागों/परियोजनाओं के लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग सहमति प्रबन्धन में आते हैं जबकि उद्योगों/परियोजनाओं के सफेद प्रवर्ग उद्योगों के सफेद प्रवर्ग में कम प्रदूषण की सम्भावना के दृष्टिगत सहमति प्रबन्धन से छूट प्राप्त है। तथापि सफेद प्रवर्ग की इकाईयां/परियोजनाओं के लिए प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र लगाने अपेक्षित हैं जहां कहीं अपेक्षित हो तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन प्रदूषकों के निवर्हन के लिए विहित मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

लाल, नारंगी तथा हरे प्रवर्ग के अधीन आने वाले उद्योगों/परियोजनाओं की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	लाल	नरंगी	हरा	कुल
बहादुरगढ़	233	909	442	1584
बल्लभगढ़	467	482	8	957
धारुहेड़ा	158	506	13	677
फरीदाबाद	205	248	11	464
गुड़गांव (उत्तर)	251	557	8	816
गुड़गांव (दक्षिण)	290	358	136	784
हिसार	58	732	19	809
जीन्द	68	952	10	1030

पंचकुला	133	745	129	1007
पानीपत	364	112	17	493
सोनीपत	253	437	132	822
यमुनानगर	295	1058	30	1383
कुल	**2775**	**7096**	**955**	**10826**

10.2 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए सहमति

लाल तथा नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए उनकी स्थापना या कोई विस्तार या उसके अतिरिक्त के लिए बोर्ड से स्थापना के लिए पूर्व सहमति अपेक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापना के लिए सहमति की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	31.03.2016 को लम्बित आवेदन	2016–17 के दौरान प्राप्त आवेदन	कुल प्राप्त आवेदन	निर्णीत		लम्बित			
				स्वीकृत	अस्वीकृत	एस सी एन के अधीन	डील नहीं हुए	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
बहादुरगढ़	0	100	100	91	4	3	0	2	5
बल्लभगढ़	0	112	112	91	15	0	0	6	6
धारुहेड़ा	0	99	99	67	26	0	0	6	6
फरीदाबाद	0	37	37	35	2	0	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	0	152	152	105	47	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	0	176	176	138	38	0	0	0	0
थ्हसार	0	41	41	32	9	0	0	0	0

जीन्द	5	170	175	153	17	0	0	5	5
पंचकुला	0	129	129	77	44	4	0	4	8
पानीपत	2	61	63	36	7	0	0	20	20
सोनीपत	14	190	204	155	35	0	0	14	14
यमुनानगर	0	238	238	182	51	0	0	5	5
कुल	**21**	**1505**	**1526**	**1162**	**295**	**7**	**0**	**62**	**69**

10.3 जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति

लाल तथा नारंगी प्रवर्ग के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयो/परियोजनाओं के लिए परीक्षण उत्पादन शुरु करने तथा पूर्व सहमति की समाप्ति से पूर्व चलाने की सहमति के नवीकरण से पूर्व बोर्ड से चलाने की पूर्व सहमति अपक्षित है।

जल अधिनियम, 1974 तथा वायु अधिनियम, 1981 के अधीन चलाने की सहमति की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	सहमति प्रबन्धन में आने वाली इकाईयों की कुल संख्या	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन			
					एस सी एन	डीलन किए गए	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
बहादुरगढ़	1187	1187	1162	7	10	1	7	18
बल्लभगढ़	961	615	566	27	0	0	22	22
धारुहेड़ा	679	335	295	16	0	0	24	24
फरीदाबाद	464	463	461	2	2	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	448	448	432	16	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	784	340	336	4	0	0	0	0
थ्हसार	809	266	231	30	30	0	5	35

जीन्द	1032	470	409	34	0	0	27	27
पंचकुला	1007	654	535	98	11	0	10	21
पानीपत	586	566	551	10	0	20	5	25
सोनीपत	1122	1120	1115	5	0	0	0	0
यमुनानगर	1383	801	708	76	0	0	17	17
कुल	**10462**	**7265**	**6801**	**325**	**53**	**21**	**117**	**189**

अध्याय– 11 : खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016

11.1 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार

खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 में आने वाली सभी औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं के लिए बोर्ड से प्राधिकार अपेक्षित है।

खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	एच डब्ल्यू एम नियमों में आने वाली कुल इकाई	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन		
					एस सी एन	निर्णय के लिए लम्बित	कुल
बहादुरगढ़	240	240	235	0	5	0	5
बल्लभगढ़	554	267	234	16	0	17	17
धारुहेड़ा	235	134	112	9	0	13	13
फरीदाबाद	252	252	251	1	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	553	313	307	6	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	726	726	720	6	0	0	0
हिसार	96	96	94	2	0	0	0
जीन्द	31	29	28	1	0	0	0
पंचकुला	199	80	63	11	3	3	6
पानीपत	365	350	335	11	0	4	4
सोनीपत	366	366	364	1	1	0	1
यमुनानगर	251	124	113	6	0	5	5
कुल	**3868**	**2977**	**2856**	**70**	**9**	**42**	**51**

11.2 खतरनाक अपशिष्ट के रिसाईकलिंग/पुनः प्रसंस्करण के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों की स्थिति

क्षेत्र	प्राधिकृत की कुल संख्या		कुल मात्रा
	रिसाईकलर	यूटीलाईजर	
बहादुरगढ़	38	0	143381 एमटीए
धारुहेड़ा	3	0	17397 एमटीए
गुड़गांव (उत्तर)	2	0	30000 एमटी/वार्षिक
थ्हसार	21	0	74720
प्चकुला	12	0	58108 एमटीए तथा 3000 के एल ए
पनीपत	1	0	3100 के एल ए
सेनीपत	11	0	16081
यमुनानगर	11	0	प्रयुक्त तेल 7900 के एल ए 36515 एम टी ए
क्ल	**99**	**0**	—

11.3 खतरनाक अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रुप में प्राधिकृत इकाईयों की स्थिति।

अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यापारी जैसे कि धातु कतरन, कागज अपशिष्ट इत्यादि जो खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 की अनुसूची–iii के भाग–घ में सूचीबद्ध हैं, अपने प्राधिकार के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को प्ररुप–16 में आवेदन कर सकता है जो कि एक मुश्त समय के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा रजिस्टर्ड व्यापारी के लिए त्रैमासिक आधार पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या प्रदूषण नियन्त्रण समितियों को मात्रा सहित ऐसे आयात के ब्योरे तथा वास्तविक उपभोक्ताओं के ब्योरे प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।

उपरोक्त कथित नियमों के अधीन इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) की ओर से अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए इच्छुक ऐसे व्यापारी को प्रदान किए गए प्राधिकार की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

क्षेत्र	**वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से अनुसूची–iii के भाग–घ में सूचीबद्ध अन्य अपशिष्ट के आयात के लिए व्यापारी के रुप में प्राधिकृत इकाईयों की संख्या**
फरीदाबाद	5
हिसार	1
धारुहेड़ा	2
सोनीपत	2
बहादुरगढ़	1
पंचकुला	1
यमुनानगर	1
कुल	**13**

11.4 टी एस डी एफ में खतरनाक अपशिष्ट की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में स्थिति

सामूहिक खतरनाक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा राज्य सरकार तथा इस बोर्ड की सहायता से हरियाणा पर्यावरण प्रबन्धन सोसाइटी द्वारा पाली, जिला फरीदाबाद में विकसित की गई है जो कि मैसर्ज गुजरात एनवीरो संरक्षण तथा अवसंरचना (हरियाणा) (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है।

सुविधा की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 25000 मिट्रिक टन प्रति वर्ष है जिसमें 12 से 14 टन प्रतिदिन की भस्मक क्षमता वाले सुरक्षित भूमिभरत तथा भस्मीकरण से निपटान शामिल है।

सुविधा में वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त, प्रसंस्कृत तथा निपटान खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :–

खतरनाक अपशिष्ट का वर्णन		**एम टी में मात्रा**
वर्श के भ्ाुरु में स्टॉक में मात्रा	भूमिभरत योग्य	1.055
	भस्म योग्य	8336.9
प्राप्त खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे सुरक्षित भूमिभरत के लिए	7277.67
	उपचार के बाद सुरक्षित भूमिभरत के लिए	1030.515
	भस्मीकरण के लिए	20459.66
निपटान किए गए खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	सीधे रुप से भूमिभरत मात्रा	7277.673
	उपचार के बाद भूमिभरत मात्रा	1015.36
	भस्मीकृत मात्रा	3930.209
	नमी तथा अन्य	9620.539
	जैविक तथा अजैविक का भौतिक पृथक्करण	11.60.554
विदग्धता के रुप में उपयोग के लिए पूर्व–प्रसंस्कृत		9568.13

मात्रा		
वर्श की समाप्ति पर स्टॉक में मात्रा	भूमिभरत योग्य	16.21
	भस्मयोग्य	4517.14

11.5 खतरनाक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के अधीन वार्शिक रिपोर्ट।

उत्पन्न, रिसाईकल्ड, उपयोग तथा निपटाए गए खतरनाक अपशिष्ट के ब्योरे दर्शान वाली खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन तथा ट्रांसबाउण्डरी संचलन) नियम, 2016 के अधीन वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट नीचे दी गई है :–

जिला	खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों की संख्या	प्राधिकार के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए)	वार्शिक विवरणी (एमटीए) के अनुसार उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा	वशवर्ती एस एल एफ में निपटान की मात्रा (एमटीए)	टी एस डी एफ (एमटी) में सामूहिक एस एल एफ के द्वारा निपटान मात्रा	वशवर्ती भस्मक (एमटी) द्वारा निपटान मात्रा	टी एस डी एफ (एमटी) में सामूहिक भस्मक के द्वारा निपटान मात्रा	सीमेंट पजावा में को – प्रसंस्कृत मात्रा (एम टी)	नियम 9 के अधीन प्रयुक्त मात्रा (एमटी)	खतरनाक अपशिष्ट अनुसूची – IV के रिसाईकलर में भेजी गई मात्रा (एमटी)	वशवर्ती उपयोग (एमटी)	वर्ष की समाप्ति पर अधिभोगी परिसर में भण्डार एच डब्ल्यू मात्रा (एमटी)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
यमुनानगर	150	5305.14	4097.84	0	82.545	0	143.095	0	0	509.44	0	3362.76
करनाल	83	1486.60	1040.5	0	77.2	0	98.3	0	0	302.12	0	562.88
पानीपत	363	9679.06	7286.3402	0	453.95	0	199.97	0	3566.25	2410.1815	0	655.9725
गुड़गांव (उत्तर)	529	13403.22	12842.99	325	320.07	774	4831.125	5004.1	0	1398.08	0	190.615
मेवात	44	362.34	324.12	0	111.695	0	123.405	0	0	89.02	0	0
रेवाड़ी	223	4435.73	4346.03	362.71	1447.42	413.8	2009.08	0	0	113.02	0	0
महेन्द्रगढ़	5	0.835	0.815	0	0	0	0.505	0	0	0.31	0	0
सोनीपत	366	1122.365	852.994	0	494.68	4.68	137.315	0	0	97.281	0	119.038
फरीदाबाद	252	1633.16	1633.16	0	828.535	0	431.05	0	0	35	0	336.575
जीन्द	13	24.173	24.173	0	1.38	0	17.29	0	0	0	0	5.503
भिवानी	12	50.612	50.612	0	40.925	0	3.315	0	0	0	0	6.372
कैथल	5	1.192	1.192	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0.842
पंचकुला	79	896.83	612.99	0	50.2	0	100.44	0	0	1.25	0	461.1
अम्बाला	54	1245.26	1194.53	0	80.1	0	125.54	0	0	2.64	0	986.25
कुरुक्षेत्र	25	367.35	329.9	0	13.15	0	40.64	0	0	0.75	0	275.36
गुड़गांव (दक्षिण)	638	11890.25	11469.2	0	932.63	18.4	9899.57	85	0	317.1	0	216.5
हिसार	62	1439.23	1404.633	0	129.9	0	10.615	0	0	744.65	0	519.468
फतेहाबाद	5	22.53	17.355	0	16.055	0	0	0	0	0.5	0	0.8
सिरसा	18	54.68	42.85	0	5.785	0	2.96	0	0	1.3	0	32.805
फरीदाबाद	626	4635.81	4474.47	0	1482.95	0	1001.09	0	0	1021.24	0	969.19

(बल्लभगढ़)												
पलवल	130	1064.19	1027.14	0	340.42	0	229.81	0	0	234.43	0	22.48
झज्जर	167	3814.66	3801.5	0	726.548	2165.2	764.02	0	0	40.72	0	105.02
रोहतक	92	1961.416	1954.1	0	671.7	759.4	290.52	0	0	139.84	0	92.652
कुल	**3941**	**64896.63**	**58829.4342**	**687.71**	**8308.188**	**4135.48**	**20459.66**	**5089.1**	**3566.25**	**7458.8725**	**0**	**9124.1825**

अध्याय– 12 : ई–अपशिष्ट नियम, 2016

12.1 सामान्य

ई–अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरणीय रुप से अदूषित रिसाईकलिंग के लिए देश में उत्पन्न ई–अपशिष्ट के चैनलाईज के मुख्य उद्देश्य से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं जो असंगठित क्षेत्र द्वारा अधिकांश रुप से नियन्त्रित है जिसने अपशिष्ट प्रक्रिया अपनाई है जिसका परिणाम उच्चतर प्रदूषण है तथा समुत्थान कम है जिसक द्वारा कीमती संसाधनों की बर्बादी तथा पर्यावरण की क्षति होती है।

इलैक्ट्रोनिक अपशिष्ट या ई–अपशिष्ट को फैंके गए कम्प्यूटर, कार्यालय इलैक्ट्रोनिक उपकरण, मनोरंजन इलैक्ट्रोनिक्स यन्त्र, मोबाईल फोन, टेलीविजन सैट तथा रैफरीजरेटर के रुप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें प्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स शामिल है जो कि पुनःप्रयोग, पुनःबिक्री, निकाला हुआ, रिसाईकलिंग या निपटान तथा पुनः प्रयोग योग्य (चालू तथा मुरम्मत योग्य इलैक्ट्रोनिक्स) तथा द्वितीय कुड़ा–कर्कट (तांबा, स्टील, प्लास्टिक इत्यादि) के लिए नियत है। मोटे तौर पर इसमें लोह तथा अलोह धातु, प्लास्टिक, शीशा, लकड़ी तथा प्लाईवुड, मुद्रित सर्किट बोर्ड, मृतिका, रबड़ तथा अन्य वस्तुएं शामिल है। तत्वों की मौजूदगी जैसे कि शीशा, पारा, संखिया, अरगजी, सलेनियम, हैक्सावालैन्ट करोमियम तथा देहली से बाहर अग्नि रिटारडैन्टस जो प्रकृति म खतरनाक ई–अपशिष्ट बनाते हैं।

ई–अपशिष्ट के प्रबन्धन में ई–अपशिष्ट से धातू, प्लास्टिक तथा शीशा सामग्री की प्राप्ति के लिए संग्रहण, पृथककरण, पुनःचमकाना, विखण्डित करना तथा रिसाईकलिंग करना शामिल है। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में ई–अपशिष्ट के पर्यावरणीय रुप से अदूषित संग्रहण, प्रसंस्करण, विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए मार्गदर्शन जारी किए हैं। ई–अपशिष्ट के विखण्डक तथा रिसाईकलर को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों के पास इकाईयों को रजिस्टर करना अपेक्षित है।

12.2 ई– अपशिष्ट का विखण्डित करने तथा रिसाईकलिंग के लिए रजिस्टर्ड इकाईयों के ब्यौरे

क्षेत्र	प्राधिकृत की संख्या		कुल प्राधिकृत मात्रा (एमटी)	
	रिसाईकलर	विखण्डक	रिसाईकलिंग	विखण्डित
बहादुरगढ़	1	3	5000	17440
बल्लभगढ़	0	2		3000
धारुहेड़ा	0	0	0	0
फरीदाबाद	0	1	0	1
गुड़गांव (उत्तर)	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	1	5	35.825	33.333
हिसार	0	0	0	0
जीन्द	0	0	0	0
पंचकुला	0	2	0	5425
पानीपत	1	0	5940	0
सोनीपत	1	0	85	0
यमुनानगर	0	0	0	0
कुल	**16**	**11**	**67168.825**	**25899.333**

अध्याय– 13 : बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016

13.1 सामान्य

बायो–मैडिकल अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय (एम ओ ई एफ तथा सी सी) द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी भी रुप में बायो–मैडिकल उत्पन्न, एकत्र, प्राप्त, स्टोर, परिवहन, उपचार, प्रबन्ध तथा निपटान का व्यापार करता है। राज्य में स्थित सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के संबंध में इन नियमों के उपबन्धों के लागूकरण के लिए "विहित प्राधिकारी" राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड है।

13.2 बायो–मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकार की स्थिति

क्षेत्र	कुल इकाई	आवेदित	स्वीकृत	अस्वीकृत	लम्बित आवेदन		
					एस सी एन	अनिर्णीत	कुल
बहादुरगढ़	269	269	267	0	2	0	2
बल्लभगढ़	198	198	195	0	0	3	3
धारुहेड़ा	199	113	113	0	0	0	0
फरीदाबाद	229	226	226	0	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	353	353	353	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	53	53	53	0	0	0	0
हिसार	436	436	436	0	0	0	0
जीन्द	355	355	299	0	56	0	56
पंचकुला	396	387	378	0	0	9	9
पानीपत	143	143	142	0	0	1	1
सानीपत	184	184	184	0	0	0	0
यमुनानगर	324	324	324	0	0	0	0
कुल	**3139**	**3041**	**2970**	**0**	**58**	**13**	**71**

13.3 बायो–मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन पाधिकृत सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे

सामूहिक अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा मे बायो–मैडिकल अपशिष्ट के उपचार तथा निपटान के लिए बायो–मैडिकल अपशिष्ट नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की सूची नीचे दी गई है :–

क्षेत्र	कम संख्या	इकाई का नाम तथा पता	क्षमता (कि0ग्रा0 / घण्टा)
पंचकुला	1.	मैसर्ज एस के हाईजेनिक, गांव बागवाला, पंचकुला, मोबाईलः– 09466100061	150
	2.	मैसर्ज रुद्राक्ष एनवीरो केयर, गांव भड़ोग, नारायणगढ़, अम्बाला	150
जीन्द	3.	मारुति बायो मैडिकल वेस्ट प्लांट, हतेमपुरा, भिवानी	100
	4.	दिव्या वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव कण्डेला, जीन्द	100
यमुनानगर	5.	मैसर्ज हाट सुप्रीम वैस्टेक प्राईवेट लिमिटेड, गांव बजीदा जाटान, निकट रेलवे क्रासिंग, करनाल	100
फरीदाबाद	6.	मैसर्ज गोल्डन ईगल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव – जसाना, फरीदाबाद	100
बहादुरगढ़	7.	मैसर्ज एस.डी. बायो मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कम्पनी, गांव–बालन्द, जिला रोहतक	100
गुड़गांव (उत्तर)	8.	मैसर्ज वुलकन वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, गांव भोण्डसी, गुड़गांव	150
हिसार	9.	साईनरजी वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0,	150

		168, सैक्टर–27–28, हुड्डा औद्योगिक क्षेत्र, हिसार	
	10.	इनविजन एनवीरो सर्विस, गांव फुल्कान, जिला सिरसा	100
	11.	सूर्या वेस्ट मैनेजमेंट, साहूवाला रोड़, गांव चाडीवाल, जिला सिरसा	100

13.4 बाया मैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति

क्र0 सं0	ब्यौरे	कुल
1.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/अधिभोगियों की कुल संख्या	3412
I.	बैडिड हस्पताल तथा नर्सिंग होम (बैडिड)	2351
II.	क्लीनिक, डिस्पेंसरीज	757
III.	पशु चिकित्सा संस्था	4
IV.	पशु घर	3
V.	पैथोलोजी प्रयोगशालाएं	176
VI.	ब्लड बैंक	11
VII.	क्लीनीकल स्थापना	66
VIII.	अनुसंधान संस्थाएं	23
IX.	आयुष	21
2.	बिस्तरों की कुल संख्या	48357
3.	प्राधिकार की स्थिति	
I.	प्राधिकार के लिए आवेदित अधिभोगियों की कुल संख्या	3024
II.	प्राधिकार स्वीकृत अधिभोगियों की कुल संख्या	2948
III.	विचाराधीन आवेदनों की कुल संख्या	47
IV.	अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या	29
V.	प्राधिकार के लिए आवेदन किए बिना संचालित अधिभोगियों की संख्या	352
4	उत्पन्न बायोमेडिकल अपशिष्ट की मात्रा (कि0ग्रा0/दिन में) उत्पन्न	11662.91
I.	बैडिड हस्पताल द्वारा उत्पन्न बायो–मेडिकल अपशिष्ट	10305.98

	(कि0ग्रा0 / दिन में)	
II.	गैर बैडिड हस्पताल द्वारा उत्पन्न बायो–मेडिकल अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन में)	1356.93
III.	कोई अन्य	36
5	बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान	
क.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा द्वारा बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार तथा निपटान	
I.	संचालन में सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या	11
II.	निर्माणाधीन सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या	0
III.	कि0ग्रा0 / दिन में उपचारित कुल बायो मेडिकल अपशिष्ट	11662.91
IV.	प्राधिकृत रिसाईकलर के द्वारा निपटान कुल बायो मेडिकल अपशिष्ट (कि0ग्रा0 / दिन में)	2555
V.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं द्वारा उल्लंघन की कुल संख्या (बैडिड तथा गैर बैडिड)	352
VI.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा	0
6	चूककर्ताओं को जारी कारण बताओ नोटिस / निर्देश	
I.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा	0
II.	अन्य	352
7	कोई अन्य संबंधित सूचना	
I.	वर्ष के दौरान आयोजित कर्मशाला / प्रशिक्षण की संख्या	40
II.	तरल अपशिष्ट उपचार सुविधा लगाने वाले अधिभोगियों की संख्या	170
III.	मानकों का अनुपालन करने वाले वशवर्ती भस्मकों की संख्या	0
IV.	प्रशिक्षण आयोजित करने वाले अधिभोगियों की सख्या	225
V.	बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन समितियों गठित अधिभोगियों की संख्या	0
VI.	पूर्व कलेंडर वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिभोगियों की संख्या	3197
VII.	लैब माइक्रो बायोलोजी तथा बायो टैक्नोलोजी अपशिष्ट के पूर्व उपचार करने वाले अधिभोगियों की संख्या	398
VIII.	सामूहिक बायो मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा की संख्या जिन्होंने सतत् ऑनलाईन उत्सर्जन मोनिटरिंग प्रणाली लगाई है	11

अध्याय– 14 : बैटरी नियम, 2001

14.1 सामान्य

बैटरी से अभिप्राय है शीशा एसिड बैटरी जो विद्युत उर्जा का स्त्रोत है तथा जिसमें शीशा धातु होती है। ये नियम बैटरियों या उनके घटकों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, विक्रय, क्रय तथा उपयोग में शामिल प्रत्येक विनिर्माता, आयातकर्ता, रिकन्डीशनर, एसैम्बलर, डीलर, रिसाईकलर, निलामीकर्ता, उपभोक्ता तथा बल्क उपभोक्ता को लागू होते हैं।

14.2 बैटरी (प्रबन्धन तथा निपटान) नियम, 2001 के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारियों की स्थिति

क्षेत्र	इकाईयों की संख्या
बहादुरगढ़	45
बल्लभगढ़	29
धारुहेड़ा	18
गुड़गांव (उत्तर)	10
जीन्द	6
पंचकुला	55
पानीपत	1
कुल	**164**

अध्याय– 15 : प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016

15.1 सामान्य

प्लास्टिक का बहुविध प्रयोग किया जाता है तथा भौतिक तथा रासायनिक विशेषता वाणिज्यिक सफलता का द्योतक है। तथापि, प्लास्टिक का अव्यवस्थित निपटान पर्यावरण के लिए मुख्य खटका बन गया है। विशेष रुप से प्लास्टिक लिफाफे बिखरे हुए अपशिष्ट का विशाल सहयोगी हैं तथा प्रत्येक वर्ष करोड़ों प्लास्टिक लिफाफे पर्यावरण अर्थात् मृदा, जल निकायों, जल मार्गों इत्यादि में समा जाते हैं तथा यह पूर्ण रुप से अपघटित होने में औसत एक हजार वर्ष लेते हैं। इसलिए, वैज्ञानिक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन की समस्या का समाधान करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन, मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन शामिल है।

15.2 प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 के लागूकरण की स्थिति

क्रम संख्या	विवरण	टी पी ए के ब्योरे तथा मात्रा	
1	प्रतिवर्ष अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन टन	23369.09	
2	प्लास्टिक विनिर्माण इकाईयों की संख्या (जिसमें बहुपरत, कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां शामिल हैं)	प्लास्टिक इकाईयां	7
		कुड़ाखाद योग्य प्लास्टिक इकाईयां	एन ए
		बहुपरत प्लास्टिक इकाईयां	11
3	राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए पृथक अधिनियम/अधिसूचना, यदि कोई हो	शहरी स्थानीय विभाग, हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.08.2013 अदूषित तथा रिसाईकल्ड प्लास्टिक लिफाफों के विनिर्माण, विक्रय, वितरण,	

		स्टाकिंग, परिवहन तथा उपयोग तथा प्लास्टिक खाद्य सामग्री के लिए प्रयुक्त रिसाईकल्ड प्लास्टिक डिब्बों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाती है।
4	उल्लंघन कर्ताओं की संख्या जिनके विरुद्ध शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा द्वारा जारी दिनांक 20.08.2013 की अधिसूचना के उपबन्धों के अनुपालन के लिए कार्रवाई की गई है।	754

अध्याय– 16 : प्रशिक्षण कार्यक्रम

16.1 अटैण्ड किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कर्मशालाओं के ब्यौरे

क्रम संख्या	प्रशिक्षण शीर्षक	अनुसूची	प्रशिक्षण संस्था	प्रशिक्षण अटैण्ड करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के नाम
1.	18 तथा 22 नवम्बर, 2016 को "हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन नियम) तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीवन प्रगति) नियम, 2016 के अधीन वेतन नियतन" पर दो एक दिवसीय कर्मशाला	22 नवम्बर, 2016	हरियाणा लोक प्रशासन संस्था, मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पंचकुला (हिपा)	1. श्री रतन सिंह, लेखाकार 2. श्री पूनम, सहायक 3. श्री मेहर चन्द, सहायक
2	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	14–16 नवम्बर, 2016	नीरी, नागपुर	श्री अपरनेश कुमार, एसएसए, हिसार लैब
3	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	06–08 दिसम्बर, 2016	डी एम आई, भोपाल	श्री निर्मल कश्यप, आर ओ, सोनीपत
4	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	14–16, फरवरी, 2017	ई एस सी आई, हैदराबाद	श्री कुलदीप सिंह, आर ओ, गुड़गांव (दक्षिण)
5	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा	21–25 नवम्बर, 2016	नीरी, नागपुर	श्री नरेन्द्र हुडा, एस एस ए, फरीदाबाद

	प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम			
6	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	14–18 नवम्बर, 2016	एन पी सी , चेन्नई	श्री विपिन कुमार, ए ई ई, गुड़गांव (दक्षिण)
7	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	06–08 जनवरी, 2017	डी एम आई, भोपाल	श्री शक्ति सिंह, ए ई ई, फरीदाबाद
8	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	19–21 दिसम्बर, 2016	एन आई एच, रुड़की	श्री दिनेश कुमार, ए ई ई, बहादुरगढ़
9	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	08–10 मार्च, 2017	एन आई ओ एच, अहमदाबाद	श्री राजेश घड़िया, एससी–सी (मुख्यालय)
10	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	20–25 नवम्बर, 2016	एन जी आर आई, हैदराबाद	श्री सुखराम, एस एस ए (मुख्यालय)
11	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	22–25 नवम्बर, 2016	आई आई टी, रुड़की	श्री बलराज सिंह, एस एस ए (मुख्यालय)
12	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण	फरवरी, 2016	सी ई एस, चेन्नई	श्री अजय सिंह, ए ई ई, बहादुरगढ़

	कार्यक्रम			
13	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	18–20 जनवरी, 2017	सी आई एम एफ आर, धनबाद	श्री सुनील श्योराण, वैज्ञानिक–बी, भिवानी
14	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	जनवरी, 2017	आई आई टी, रुड़की	श्री भूपेन्द्र सिंह, आर ओ, गुड़गांव (उत्तर)
15	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	09–11 नवम्बर, 2016	एन एस आई, कानपुर	श्री सनीव, आर ओ, यमुनानगर
16	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	06–10 फरवरी, 2016	एन एल एस आई यू, बैंगलोर	श्री दिनेश यादव, ए ई ई, गुड़गांव (उत्तर)
17	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 जनवरी–03 फरवरी, 2017	आई एस आई, दिल्ली	श्रीमती नेहा सहारन, ए ई ई, गुड़गांव (उत्तर)
18	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	01–03 फरवरी, 2017	टी ई आर आई, दिल्ली	श्री विजय चौधरी, ए ई ई, गुड़गांव (उत्तर)
19	पर्यावरणीय विनियम 2016–17 के लिए सीपीसीबी द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–16 दिसम्बर, 2016	एन आई ओ एच, अहमदाबाद	श्री नवीन गुलिया, आर ओ, धारुहेड़ा

अध्याय– 17 : लोक शिकायतों का निवारण

17.1 प्राप्त लोक शिकायतों तथा निपटान की गई लोक शिकायतों की स्थिति

क्षेत्र	के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की संख्या				निपटान की गई शिकायतों की संख्या				लम्बित शिकायतों की संख्या			
	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल	हार्ड कॉपी	हर समाधान	सी एम शिकायत पोर्टल	कुल
बहादुरगढ़	82	0	53	135	82	0	53	135	0	0	0	0
बल्लभगढ़	50	0	27	77	50	0	76	126	0	0	1	1
धारुहेड़ा	20	0	22	42	20	0	22	42	0	0	0	0
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुड़गांव (उत्तर)	7	5	19	31	7	5	19	31	0	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	30	0	5	35	30	0	5	35	0	0	0	0
हिसार	3	0	65	68	3	0	63	66	0	0	2	2
जीन्द	17	0	32	49	17	0	32	49	0	0	0	0
पचकुला	119	0	27	146	89	0	26	115	30	0	1	31
पानीपत	10	0	22	32	8	0	17	25	2	0	5	7
सोनीपत	15	0	11	26	15	0	11	26	0	0	0	0
यमुनानगर	35	0	101	136	30	0	91	121	5	0	10	15
कुल	**388**	**5**	**384**	**777**	**351**	**5**	**415**	**771**	**37**	**0**	**19**	**56**

अध्याय– 18 : ई आई ए अधिसूचना के अधीन लोक सुनवाई

18.1 सामान्य

ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन अपेक्षित सरकारी जांच प्रक्रिया के भाग के रुप में लोक सुनवाई की गई है। यह हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक जनसभा में लिखित अनुरोध को स्पष्ट करने तथा समस्याओं पर विचार, जांच करने के लिए अवसर मुहैया कराती है। स्थान पर उपस्थित व्यक्ति को पर्यावरणीय समाशोधन की अपेक्षा के लिए परियोजना प्रस्तावका से परियोजना की जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा भागीदारों द्वारा अभिव्यक्त सभी विचार तथा मामले लोक सुनवाई की कार्यवाही में अभिलिखित तथा प्रतिबिम्बित किए जाते हैं जिनपर ई आई ए अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अधीन परियोजना प्रस्तावकों के पर्यावरणीय समाशोधन के मामलों का निर्णय करते समय प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

लोक सुनवाई की प्रक्रिया में कोई संगठन या व्यक्ति या तो निवेदन पर बोलने या साधारणतया कार्यवाही का अवलोकन करने के लिए भाग ले सकता है।

18.2 बोर्ड द्वारा आयोजित लोक सुनवाई के ब्यौरे

क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या जहां लोक सुनवाई आयोजित की गई है
धारुहेड़ा	5
बहादुरगढ़	0
बल्लभगढ़	0
फरीदाबाद	0
गुड़गांव (दक्षिण)	0
गुड़गांव (उत्तर)	0
हिसार	0
जीन्द	3
पानीपत	0
पंचकुला	3
सोनीपत	0
यमुनानगर	15
कुल	**26**

अध्याय– 19 : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

19.1 सामान्य

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर टी आई) प्रत्येक सरकारी प्राधिकारियों से विस्तृत प्रसार के लिए तथा सूचना के कतिपय प्रवर्गों की पूर्व सक्रियता के लिए अपने रिकार्ड को कम्प्यूट्रीकृत करने की अपेक्षा करता है ताकि औपचारिक रुप से सूचना के लिए अनुरोध हेतु नागरिक को कम से कम आवश्यकता का सहारा लेना पड़े।

एच एस पी सी बी बोर्ड की वेबसाईट अर्थात् www.hspcb.gov.in पर आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 4 की अनुपालना म सुसंगत सूचना मुहैया करता है।

19.2 प्राप्त किए गए तथा निपटाए गए आवेदनों के ब्योरे

(क) बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा

क्षेत्र	आवेदनों की संख्या			संग्रहित फीस की राशि	अतिरिक्त दस्तावेजों के मद्दे संग्रहित फीस की राशि
	प्राप्त	निपटान	प्रकिया में		
बहादुरगढ़	117	117	0	775	555
बल्लभगढ़	101	100	1	700	0
धारुहेड़ा	88	88	0	540	0
फरीदाबाद	48	48	0	620	0
गुड़गांव (उत्तर)	147	147	0	0	0
गुड़गांव (दक्षिण)	105	105	0	480	0
हिसार	87	87	0	0	0
जीन्द	57	48	9	510	140
पंचकुला	99	97	2	750	0
पानीपत	82	82	0	510	70
सोनीपत	73	73	0	0	0
यमुनानगर	119	119	0	1360	0
कुल	**1123**	**1111**	**12**	**6245**	**765**

(ख) बोर्ड के मुख्यालय द्वारा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन वर्ष 2016–17 के दौरान मुख्यालय में कुल 228 आवेदन प्राप्त हुए थे तथा वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 31.03.2017 तक 228 आवेदनों का निपटान कर दिया गया था। आर टी आई आवेदनों के लिए फीस के रुप में 6960/– रुपये संग्रहित किए थे जबकि आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज मुहैया कराने के लिए प्रभारों के मद्दे 2340/– रुपये संग्रहित किए थे।

अध्याय– 20 : आय तथा व्यय विवरणी

20.1 वित्त वर्ष 2016–17 क लिए वास्तविक प्राप्तियों के ब्यौरे

क्रम संख्या	लेखा भीर्श	वास्तविक प्राप्ति (लाख रुपये में)
1	नमूना जांच फीस	82.25
2	जल सहमति फीस	2378.18
3	वायु सहमति फीस	2280.75
4	एन ओ सी फीस	344.01
5	प्राधिकार फीस/मान्यता फीस/अदूषित प्रदूषण फीस/ अपील फीस/सूचना का अधिकार फीस विविध प्राप्ति/स्टाफ कार का विक्रय	256.61
6	उपकर प्राप्तियां (भारत सरकार से)	120.62
7	(क) जमा पर ब्याज	2286.84
	(ख) स्टाफ को दिए गए अन्य अग्रिम पर ब्याज	9.83
8	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (एन डब्ल्यू एम पी) से सहायता अनुदान	0.00
9	राज्य सरकार से सहायता अनुदान (निदेशक, पर्यावरण)	100.00
10	आयकर वापसी	209.36
	कुल	**8068.45**

20.2 वित्त वर्ष 2016–17 के वास्तविक खर्च के ब्योरे

क्रम संख्या	लेखा भीर्श	वास्तविक खर्च (लाख रुपये में)
(क)	**वेतन**	
1	वेतन तथा भत्ते	1423.25
2	चिकित्सा खर्च	36.87
3	यात्रा भत्ता	10.02
	उप कुल	**1470.14**
(ख)	**अनुरक्षण**	
1	कार्यालय खर्च तथा अन्य खर्च	253.06
2	विधिक खर्च	43.71
3	व्यावसायिक फीस	11.34
	उप कुल	**308.34**
(ग)	**अनावर्ती**	
1	फर्नीचर तथा फिक्सचर	2.82
2	कार्यालय मशीन तथा उपकरण	11.85
3	कार्यालय का कम्प्यूट्रीकरण	78.91
4	वाहन	0.00
5	पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्रिकाएं तथा कम्प्यूटर आधारित सूचना	0.04
6	लैब उपकरण/सामग्री/खर्च, कम्प्यूटर	58.32

	तथा मोडिव खर्च तथा कम्प्यूटर, पैरीफरल			
	लेखन सामग्री खर्च			
7	भुगतान किया गया आयकर			1003.17
	उप कुल			**1155.11**
(घ)	**कर्ज तथा अग्रिम**			
1	**कर्ज तथा अग्रिम**		**11.33**	
(ड़)	**कार्यालय भवन तथा आवासीय कम्पलैक्स का निर्माण/खरीद**		**11.55**	
(च)	**अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, रिपोर्ट तथा अध्ययन**		**27.28**	
(छ)	**ई.टी.पी. स्थापना के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता**			**0.00**
(ज)	**ईको क्लब/पर्यावरण जागरुकता**		**107.09**	
	I. राज्य सरकार	**100.00**		
	II. भारत सरकार	**———**		
	III. एच एस पी सी बी	**16.72**		
	कुल			**157.25**
कुल योग	**क+ख+ग+घ+ड़+च+छ+ज**			**3090.61**

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी 11, सैक्टर 6, पंचकुला – 134109
वेबसाइट-एचएसपीसीबी.जीओवी.इन